हाऊसिंग बोर्ड ने सबसे कम समय में अपने 50 प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड करवाये

जयपुर । हाऊसिंग बोर्ड ने सबसे कम समय में रेरा में प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन का अर्द्धशतक पूर्ण किया है। यानि कि आवासन मंडल अब ऐसी संस्था बन गई है, जिसने सबसे कम समय में रेरा में अपने 50 प्रोजेक्ट पंजीकृत करवाये है। इस उपलब्धि पर रेरा के अध्यक्ष एन.सी. गोयल ने आयुक्त पवन अरोड़ा को बधाई संदेश भेजा है।

निहाल चंद गोयल ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि राजस्थान आवासन मंडल पहली संस्था है, जिसने एक भी प्रोजेक्ट बिना रेरा में रजिस्टर्ड कराए लांच नहीं किया है। साथ ही सभी नियम-कायदों की पूर्णत: पालना कर रहा है, ऐसा देश के अन्य राज्यों में कहीं भी देखने को नहीं मिला है।

उन्होंने बताया कि रियल एस्टेट क्षेत्र में घर खरीददारों के हितों की रक्षा करने, डवलपर्स की जवाबदेही तय करने और घर खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2017 में राजस्थान रियल एस्टेट रूल्स बनाए थे और वर्ष 2019 में राजस्थान रियल एस्टेट रेग्यूलेट अथॉरिटी (रेरा) की स्थापना की थी। उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय कानून के मुताबिक ऐसे

■ इस उपलब्धि पर रेरा के अध्यक्ष एन.सी. गोयल ने आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा को बधाई दी है

प्रोजेक्ट्स, जिनका क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर से ज्यादा हैं, उन्हें रेरा में पंजीकृत कराना अनिवार्य है। आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने बताया कि हाल ही में लॉच की गई सभी आवासीय योजनाएं, जयपुर में विकसित आतिश मार्केट, मानसरोवर, आयुष मार्केट व राणा सांगा मार्केट, प्रताप नगर समेत 50 परियोजनाओं को रेरा में पंजीकृत करवाया जा चुका है। इनमें ग्रुप हाउसिंग स्कीम के 46 प्रोजेक्ट और प्लॉटेड डवलपमेंट स्कीम के 4 प्रोजेक्ट शामिल हैं। इनमें जयपुर वृत्त प्रथम, द्वितीय और तृतीय के 30, जोधपुर वृत्त प्रथम और द्वितीय के 9, उदयपुर वृत्त के 3, अलवर वृत्त के 5, बीकानेर वृत्त का 1 और कोटा वृत्त के 2 प्रोजेक्ट शामिल हैं।